728वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 728वीं बैठक दिनांक 05/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 11233/2024 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक(जिला कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.). Prior Environment Clearance for Simra Bahadur River Sand Quarry in an area of 4.75 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 127), Village-Simra Bahadur, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रा, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक)जिला कार्यालय , पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.)

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	127 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.75 hectare.
स्थल	Village- SIMRA, Tehsil- PAWAI, District- PANNA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–66,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 941 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 941 दिनांक 25/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 941 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपरियादौन जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 03/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–32 पर दर्ज है ।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र का पानी में डूबे हुये भाग को एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक नाला आकर लीज क्षेत्र में मिल रहा है अतः 50 मी. क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप

में दर्शातें हुये लगभग 1.0 हे. **खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान की दी गई गहराई 2.5 मी. अनुसार खनन योग्य रेत की मात्रा लगभग** 25000 घनमीटर/वर्ष **उपलब्धत होती है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–25000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.39 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि खनन कार्य से नदी का बहाव बाधित न हो।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय मध्य विद्यालय, बरहो के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	1,00,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5700 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सिमरा बहादुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5700

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विंशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No 11234/2024 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक(जिला कार्यालय, पन्ना, Prior Environment Clearance for Pipariya Don River Sand Quarry in an area of 3.17 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 485), Village-Pipariya Don, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रा, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक)जिला कार्यालय , पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	485 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.17 hectare.

728वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मार्च 2024

स्थल	Village- PIPARIYA DON, Tehsil- PAWAI, District- (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–17,100 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 943 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 943 दिनांक 25/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 943 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है ।**
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–69 के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से 37 मी. पर रोड ब्रिज है,** जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

3. **<u>Case No 11235/2024 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक(जिला</u> कार्यालय, पन्ना, <u>Prior Environment Clearance for Kethi River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (27000 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Kaithi, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP)</u>**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रा, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक)जिला कार्यालय , पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Kethi, Tehsil- Pawai, District-Panna (MP)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 929 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 929 दिनांक 25/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 929 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नारायणपुरा जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 16/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में जल भराव है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–25 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 378 दिनांक 01/02/2024 द्वारा अवगत कराया कि पहले लीज क्षेत्र के 11 कार्डिनेट दिये गये थे अब 13 कार्डिनेट अपडेट कर दिये गये हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र का पानी में डूबे हुये भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शातें हुये लगभग 3.41 हे. **खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान की दी गई गहराई 1 मी. अनुसार खनन योग्य रेत की वाछिंत मात्रा 27000 घनमीटर**/वर्ष **उपलब्धत होती है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–27,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि खनन कार्य से नदी का बहाव बाधित न हो।

4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला, कैथी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	80,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	50
2	ग्राम कैथी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5950

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 11236/2024 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक(जिला कार्यालय, पन्ना, Prior Environment Clearance for Jigani River Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jigni, Tehsil-Ajaigarh, District-Panna (MP) (B2)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रा, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक)जिला कार्यालय , पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.90 hectare.
स्थल	Village Jigani, Tehsil Ajaygarh, District- Panna (MP)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	

	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिगनी जिला पन्ना के ठहराव प्रस्ताव कमांक–2 दिनांक 20/12/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल कमांक–12 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र में कहीं जगह जलभराव एवं पेड/पौधे लगें हुये दिख रहें हैं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन संवेदनशील बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शातें हुये लगभग 3.04 हे. **खनन क्षेत्र उपलब्ध होता है एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान की दी गई गहराई 1.5 मी. अनुसार खनन योग्य रेत की वाछिंत मात्रा 36,000 घनमीटर/वर्ष उपलब्ध होती है।**

परियोजना **प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं** अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.41 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि खनन कार्य से नदी का बहाव बाधित न हो।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक शाला, लुका पूर्वा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	90,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5900 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम जिगनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5900
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे। टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विंशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **<u>Case No 11249/2024 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Dhapewada Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (30182 cum per year) (Khasra No. 144), Village-Dhapewada, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP)</u>**

728वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मार्च 2024

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Puran Lakshkar,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	144 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village Dhapewada, Tehsil Balaghat District Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–30,182 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–30,182 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 617 दिनांक 02/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 617 दिनांक 02/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और आवेदित स्थल 250 मीटर में वन क्षेत्र में होने के कारण संभाग स्तर पर गठित वन समिति की अनुशंसा/अनापत्ति प्राप्त ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 617 दिनांक 02/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत धापेवाड़ा जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक	

पंचायत की अनापत्ति	15/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–9 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–30,182 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि खनन कार्य से नदी का बहाव बाधित न हो।
4. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
ग्राम धापेवाड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 01 कंप्युटर, 01 प्रिंटर 01 टेबल के लिए 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति धापेवाड़ा के खाते में भू–प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा की जावेगी ।	60,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	3480
2	**ग्राम धापेवाड़ा के ग्रामवासियों में वितरण**	ऑंवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	120

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. **Case No 11250/2024 Shri RADHAKRISHNAN NAIR, Junior Manager Field, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Paryawas Bhawan, Block 'A' II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, (M.P.). Prior Environment Clearance for Diwan Khedi Sand Quarry in an area of 3.640 ha. (1800 cum per year) (Khasra No. 01, 580), Village-Diwankhedi, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP)**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कण्डाल नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री **राधाकृष्णन नायर** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स Parivesh Environmental Engineering Service, Lucknow, UP उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RADHAKRISHNAN NAIR, Junior Manager Field, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited Paryawas Bhawan, Block 'A' II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	01, 580 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.640 hectare.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Diwankhedi, Tehsil- Susner, District- Agar Malwa, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–1,800 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–1,800 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 334 दिनांक 05 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 334 दिनांक 05 / 06 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 334 दिनांक 05 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिवानखेड़ी जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 दिनांक 23 / 12 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–24 के सरल क्रमांक–3 पर दर्ज है ।	

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में 200मी. पर पक्का रोड ब्रिज है**, जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

7. **<u>Case No 10442/2023 Ms Mina Adbhute, Lessee, R/o Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)-460553, Prior Environment Clearance for Nahiya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11,191 cum per year) (Khasra No. 51), Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP). DEIAA to SEIAA.</u>**

समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 मे प्रस्तावित खदान का **डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का री–एपराईजल हेतु** प्रस्तुतीकरण हुआ था तत्पश्चात **समिति द्वारा जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये** थें। प्रकरण पुनः समिति की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/2024 प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें **समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः–**

1. खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा एक कच्चा रोड खदान से लगाा हुआ हैं एवं उत्तरी दिशा में लगभग 30 मी. पर कच्चा रोड स्थित है अतः निर्धारित सेटबेक छोडते हुये पुर्नरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
2. पुर्नरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
3. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में क्रशर लगाा हुआ है अतः कर्टटेंनिग वॉल का प्रस्ताव शामिल करते हुये ई.एम.पी. योजना।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक **Ms Mina Adbhute** (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गईः–

- Regarding Kaccha road within a 500-meter radius of the mine lease area. To address this isuue we would like to clarify that 50 m setback has been provided from the road passing at south side of the mine lease area as well as 20m setback has been provided from the road passing at north side of the mine lease area which has shown in the surface map.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–11,191 घनमीटर/वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.72 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
8. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में
ग्राम नाहिया में स्थित शासकीय विध्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा करवाई जावेगी	35,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	15,000/-

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा **650 मीटर** परिधि तक)	शीशम , नीम,पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल,सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	650
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 1.50 मीटर तक)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	100
3	शासकीय शाला में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50

4	उत्खनिपट्टा में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में।	आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

8. **Case No 10795/2023 Shri Ramesh Mali, Owner, Makan Cr. 104, Ward Cr. 02, Hanuman Mandir ke Pas, Dalodarail, District-Mandsaur (MP)-458667, Prior Environment Clearance for Daloda Rail Stone (Gitti), M-Sand & Murram Quarry in an area of 1.00 ha. (Stone-2100, M-sand-5250, Murram-1400 cum per year) (Khasra No. 1355/1), Village-Dhundharka, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur (MP)**

समिति की 708 वीं बैठक दिनांक 03/01/24 मे प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- एम.सेड प्लान्ट एवं क्रशर की प्रस्तावित लोकेशन को दर्शात हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- एम.सेड प्लान्ट एवं क्रशर से होने वाले वायु /जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें एवं सिल्ट मैनेजमेन्ट व जल पुर्नचक्रण के संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करते हुये ईएमपी तथा बजट का प्रावधान दें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, को परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश माली एवं उनके पर्यावरणीय

सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन, मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–2100 घनमीटर / वर्ष, एम सेंड–5250 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम–1400 घनमीटर / वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.31 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम दलौदा रेल के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	300
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलॉं, अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	750
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 1.50 मीटर तक)	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	150
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

9. <u>Case No 10803/2023 Shri Pankaj Jain, Owner, Makan-930, Ward Sadar Bazar, Suwasara, District-Mandsaur (MP)-458888, Prior Environment Clearance for Antraliya Stone (Gitty), M-Sand &Murrum Quarry Deposit in an area of 1.00 ha. (Stone-5940, M-Sand-15190 cum per year) (Khasra No. 80), Village-Antraliya, Tehsil-Suwasara, District-Mandsaur (MP)</u>

समिति की 709 वीं बैठक दिनांक 04/01/24 मे प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:

- एम.सेड प्लॉट एवं क्रशर की प्रस्तावित लोकेशन को दर्शात हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- एम.सेड प्लॉट एवं क्रशर से होने वाले वायु /जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें एवं सिल्ट मैनेजमेन्ट व जल पुर्नचक्रण के संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करते हुये ईएमपी तथा बजट का प्रावधान दें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन, मेसर्स ए. जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5940 घनमीटर/वर्ष, एम सेंड–15190 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.34 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,20,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम अंत्रालिया के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की	1,20,000/-

जावेगी।	

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	**सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	800
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 1.50 मीटर तक)	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

10. <u>Case No 10855/2023 M/s Jay Mahavir Minerals, Owner, Plot No. 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, District-Nagpur (MH)-441106. Prior Environment Clearance for Chaparwah Dolomite Deposit in an area of 9.420 ha. (25006 TPA) (Khasra No. 5P, 13P, 14P), Village-Chhaparwah, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) TOR</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 05/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S. JAY MAHAVIR MINERALS, Plot No 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society, Indora, Nagpur (M.H.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5 Part, 13 Part, 14 Part (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	9.42 hectare.
स्थल	Village- Chhaparwah Tehsil- Badwara District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 12948 दिनांक 23/09/22 द्वारा स्वीकृत ।	

ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट–25,006 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट–25,006 टीपीए घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 31 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.13 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 31 / 07 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 31 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छपरवाह जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 28 / 01 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–30 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

2. खदान क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
7. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
14- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
16- वन प्राणी के संरक्षण के संबंध में गेम प्रूफ फेन्सिंग का प्रस्ताव ई.एम.पी. में शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।
17- संबंधित जिला वन मंडल अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर लेवें कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र टाईगर विचरण क्षेत्र के अंतर्गत तो नहीं आता है।

11. <u>Case No 10443/2023 Shri Raj Parihar, Lessee, R/o Tagore Ward, Gandhi Nagar Colony, Betul Ganj, District-Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for</u>

Sarad Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (11400 cum per year) (Khasra No. 104/1), Village-Sarad, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)- DEIAA to SEIAA Case

प्रस्तावित खदान का समिति की 693वीं बैठक दिनांक 15/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

प्रस्तावित खदान की डिया 13 दिनांक 17/05/16 के द्वारा पत्थर–11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है अतः परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा दिये गये डीया के प्रकरणों के अंतर्गत 19 बिन्दुओं जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री राज परिहार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र कमांक 1508 दिनांक 14/09/2023 द्वारा खदान क्षेत्र के पुनरीक्षित कार्डिनेट्स पर आधारित गूगल ईमेज प्रस्तुत किये गये ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	आशिंक रूप से पायी गयी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	नहीं पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ओवर वर्डन डम्प की वर्तमान स्थिति	ओवर वर्डन लीज में रखा हुआ है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लीज क्षेत्र में 90 पौधे लगाये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–11,400 घनमीटर/वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.82 लाख प्रति वर्ष ।
3. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
6. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
7. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
ग्राम कनारा में विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	35,000/-
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	15,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1350 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियरजोनमें	आम, संतरा, जामुन, सीताफल, जंगल जलेबी, नीम आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	550
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 1.50 मीटर तक)	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	190
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवंअन्य स्थानीय	50

		प्रजातियाँ	
4	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	560
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. <u>Case No 10649/2023 Shri Rajesh Chandra, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Rampura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 406), Village-Rampura, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।: प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थें।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया, परिक्षण के दौरान पाया कि खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में लगभग 100 मी. लम्बा एक ब्रिज है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 0**1कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेंड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा

अभिमत प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही जिले की संशोधित एवं अनुमोदित डी.एस.आर. प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश चंद्रा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा काय्रलय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का 1644 दिनांक 27/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 200–200 मी. की दूरी तक की दूरी तक छोडने पर रेत खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत– 1000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.70 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन क्रियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन क्रियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)

ग्राम रामपुरा शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	प्रथम वर्ष में आसपास के गांवो में पौधों का वितरण (न्यूनतम उचाई 1.5 मी.)	पीपल, अमलतास, जंगल जलेबी , बेल, शीशम, आंवला, नीम, कदम, आम, सीताफल, आम, केला	1000
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे। टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. **Case No 10828/2023 Shri Vinay Solanki, Director, M/s Samrddhi Civicon Private Ltd, 15/2, Old Palasia, Near Laskhya Regency Building, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Project "Laabham Highlights" in an area of 0.9085 ha. (62462.40 sq.m.) (Khasra No.), Village-Barawagrada, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP).**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Proposed Construction of Commercial Project "Laabham Highlights" in an area of 0.9085 ha. (62,462.40 sq.m.) (Khasra No.), Village-Barawagrada, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP). The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B-2 (built-up area >/= 20000 m2 and < 150000 m2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, M.P.

The case was presented by Env. Consultant Mr. Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. and PP Shri Vinay Solanki, from M/s Samrddhi Civicon Private Ltd,. in the SEAC 710th meeting dated 05.01.2024.

The salient features which were submitted by PP on Parivesh Portal are given below:-

- M/s Samrddhi Civicon Private Ltd is proposing the Construction of commercial project ***"Laabham Highlights "***, at Plot No B-11, Sector B, IDA Scheme no. 151, Super Corridor Indore, Madhya Pradesh.
- The total built-up area of the project is 62462.40 m^2.
- The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B (built-up area >/= 20000 m^2 and < 150000 m^2) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, Madhya Pradesh.

S. No.	Particulars	Proposed Quantity/Area
1.	Total Built-up Area	62462.40 m^2. ^{2}
2.	Permissible Ground Coverage @ 30% Proposed Ground Coverage @ 29.28%	3118.698 sq.mt. 3035.532 sq.mt.
3.	Total No. of offices	183 Nos.
4.	Total No. of Showroom	184 Nos.
5.	Total No. of Restaurant	04 Nos
6.	Total No. of Cafe	06 Nos
7.	Green cover area	1295 sq.mt. (12.45%)
8.	Parking	Required as per norms: 415 ECS Total Proposed Parking: 716 ECS Basement Parking = 716 ECS

After presentation PP was asked to submit following information of the project for further consideration of the project:

- Tree inventory with species, height and girth details with felling status.
- IDA's high rise building permission.
- Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workers and visitors.
- Floor wise details of activity (restaurant, cafe house, toilets etc).
- Suitability study w.r.t. Aquifer recharge.

- Fly ash bricks utilization for building construction.
- Revised plantation species and no. as suggested by the committee.
- Revised CER include proposal at PHC and aganwadi (in the forest village- Nahar-jahbua and Bhadatya) as suggested by the committee.
- Carbon foot print and remediation thereof.

The project proponent submitted clarification 01.02.2024 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the SEAC 710th meeting dated 05.01.2024. Hence, this case was scheduled for query reply presentation.

The query reply was presented by Env. Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. along with PP's representative Shri Vikas Chowdhury, from M/s Samrddhi Civicon Private Ltd. wherein submitted that -

- 16 trees are existing in the project site, of which 03 trees of Babool shall be uprooted.
- The building permission has obtained from Nagar Nigam, Indore vide no PMT/IND/0152/107/2024 dated 19.01.2024.
- 11 toilets (urinals) for male and 11 toilets for female shall be provided.
- The suitability study with reference to the aquifer recharge was also carried out. The PP submitted **Report on Hydro geophysical Survey for Rain Water Harvesting Construction at Laabham Highlights,** in this report it is mentioned that Gradient Resistivity Profile & Vertical Electrical Sounding along with the hydro geological studies of the area has been conducted at the site falling between AT LAABHAM HIGHLIGHTS in Super Corridor Indore for deciphering Aquifer geometry to select a suitable site for construction of Rain water harvesting Structure. It was found that at the depth of 110 meters such aquifer is located hence, committee instructed that at this site construction shall not be done.
- PP submitted that fly ash bricks shall be used during the building construction.
- PP submitted that revised CER incorporating suggestion given by the committee.

PP submitted quantification of Carbon Footprint for proposed IT Park-III, Indore and remediation measures. For this purposes in addition to PP's proposal Committee asked PP to incorporated that proposal for additional 1000 trees shall be planted at the **Devguradia site with** the consultation of DFO. The plant species may included Bargad, Peepal , Pakar, Gular, Tinsa, Achar, Beeja, Haldu , Dahiman etc .

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for M/s Samrddhi Civicon Private Ltd is proposing the Construction of commercial project "***Laabham Highlights***", at Plot No B-11, Sector B, IDA Scheme no. 151, Super Corridor Indore, Madhya Pradesh. .Cat. 8(a)subjects to the following special conditions:

Statutory Compliance

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low-lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
iv. 01 Diesel power generating set of 120 kVAproposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
xi. The gaseous emission from DG set 120kVAshall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The

location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.

xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.

ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.

iii. The total water requirement during operation phase is 209.56 KLD out of which 97.23 KLD is fresh water requirement and 144.84KLD will be the total recycled water generated, out of which 83.27 KLD recycled water will be used for flushing, 9.06 water for horticulture & 20 KLD will be used for HVAC.

iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.

ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.

x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.

xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built-up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.

xiii. For rainwater harvesting, 02recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 25.12m^3/hr.Mesh will be provided at the roofs that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.

xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWA.

xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.

xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

xix. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity–180KLD).The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 180 KLD capacity (based on MBR Technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.

xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED’s for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 30% of the demand load or as per the state level /local building bye-law's requirement, which is higher.

vi. PP shall be explored the possibility of laying of solar panels on warehouse roofs to generate the green energy for their in –houses uses, their e- vehicles etc.

VI. **Waste Management**

i. Total waste 1381.80Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 823.08 Kg/day and non- organic waste 411.54 Kg/day), Inert waste 137.18 Kg/day, E- waste 1122.12Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

ii. 11 toilets (urinals) for male and 11 toilets for female shall be provided.

iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.

iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.

vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto small be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.

xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. **Green Cover**

i. Total 21trees shall be planted in the area of 1295 m^2 (12.45 % of total plot area) within the project site, additionally, plantation of 1000 trees (species like Bargad, Peepal , Pakar, Gular, Tinsa, Achar Beeja, Haldu , Dahima) at Deoguradia shall be done with the consultation of DFO.

ii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII **Transport**

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points
   d. Parking norms as per local regulation

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iv. Total proposed parking arrangement of 531 ECS (basement Parking)

v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. **EMP &Corporation Environment Responsibility**

i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs.524 Lacs as capital and Rs. 52 Lacs as recurring cost for this project.

ii. For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs96Lacs under Corporate Environment Responsibility(CER).

S.No	Particulars	Total (Lacs)	1st year	2nd year	3rd year
1	Distribution of School Dress and other support at Govt. School Naharjhabua & BadaBangda	5	3	2	0
2	Distribution of medical equipment's and other support at vetenary hospital Pedmi.	20	10	10	0
3	Conservation and rehabilitation of Deoguradia forest in more that 10 Hect area with plantation of 1000 plants (species like Bargad, Peepal, Pakar, Gular, Tinsa, Achar Beeja, Haldu, Dahiman etc.)	25	25	0	0
4	Infrastructure development at Orphage home near Pitraparwat Gandhinagar.	15	15	0	0
5	Water body development and infrastructure development like water supply, electricity etc. at Aganwadi and Govt. school Naharjhabua Village.	20	10	10	0
6	Awareness and field camps regarding importance of holistic approach in lifestyle through Ayurveda College Indore	11	11	0	0
	Total	**96**	**62**	**22**	**12**

iii.

iv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly reports.

vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC).
iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject.

14. Case No 10832/2023 Ms. Mikankshi Kumari, Lessee, R/o Dewas, District-Dewas (MP)-455001, Prior Environment Clearance for Sumrakhedi Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-30000, M-Sand-30000 cum per year) (Khasra No. 39/1), Village-Sumrakheri, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas (MP)

पूर्व में प्रकरण सेक की 711वीं बैठक दिनांक 09/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने

चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रकरण दिनांक 05/03/2024 को पुनः समिति के समक्ष एजेण्डे में सूचिबद्ध कर रखा गया । प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक **Ms. Mikankshi Kumari, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	MIKANKSHI KUMARI, Lessee, R/o Dewas District- Dewas (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	39/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	ग्राम SUMRAKHERI तसहील Sonkatchजिला Dewas (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7966–70 दिनांक 23/06/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–30,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1734 दिनांक 05/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1734 दिनांक 05/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1734 दिनांक 05/09/23 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर की दूरी से दूरी पर है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भलाई खुर्द जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 दिनांक 16/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड हैं, परियेजना प्रस्तावक ने बताया कि लगभग 17 पेड काटे जाना प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पवन चक्की लगभग 30 मी. एवं 210 मी. पर स्थित है।
	पश्चिम दिशा– पवन चक्की लीज से लगी हुई है एवं अन्य पवन चक्की लगभग 80 मी. पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र कमांक 2238 दिनांक 23/11/23 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॅात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

- गूगल इमेज के अनुसार चूंकि प्रस्तावित खदान के आस–पास एक–दो नही बल्कि कई विंड मिल स्थापित है तथा ओर प्रस्तावित हो सकती है अतः संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी उपरोक्त परिस्थितयों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से समिति को अवगत कराये ।
- खदान क्षेत्र में कुछ पेड हैं, अतः ट्री इनवेन्ट्री के साथ अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ एवं फोटोग्राफ सहित इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जाये।

15. <u>Case No 10862/2023 Shri Rahul Patel, Lessee, R/o Jay Prakash Ward, Betulganj, District-Betul (MP)-460001 Prior Environment Clearance for Bothiya Brahamanwada Stone Quarry in an area of 0.75 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 144/1), Village-Bothiyadhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP).</u>

पूर्व में प्रकरण सेक की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

728वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मार्च 2024

प्रकरण दिनांक 05/03/2024 को पुनः समिति के समक्ष एजेण्डे में सूचिबद्ध कर रखा गया । प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Rahul Patel, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAHUL PATEL, Lessee, Jay Prakash Ward Betul Ganj Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5700(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	0.750 hectare.
स्थल	Village Bothiya Brahamanwada , tehsil: Amla & Distt: Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 27/08/2018	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक ने शपथ–पत्र दिया है कि उनके द्वारा खनन् कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जावेग, रॉक ब्रेकर के माध्यम से उत्खनन् किया जावेगा ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर–5700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5700 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 115 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 320 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत ब्राम्हणवाड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक –6 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	

अनापत्ति	आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– तालाब लगभग 320 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा– पक्का रोड(हाईवें –47) लगभग 120 मी.
	पूर्व दिशा– रोड लगभग 60 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हालेज रोड है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–27 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

16. <u>Case No 10445/2023 Shri Mahesh Sharma, Suprintending Engineer, M/s Indore Municipal Corporation, R/o 107, 109, First Floor Palika Plaza, District-Indore (MP)-452007, Prior Environment Clearance for Proposed construction of affordable housing project "Kshipra Parisar" under PMAY in an area of 3.788 ha. (53605.83 Sq.m.) (Khasra No. 16), Village-Buraniya, Tehsil-Hatod, District-Indore (MP)</u>

प्रकरण सेक की 679वीं बैठक दिनांक 14/09/23 को सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। प्रकरण पुनः 693 वीं बैठक दिनांक 20/10/23 को सूचीबद्ध किया गया किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

The case was scheduled for the presentation wherein Environmental consultant stated that "Indore Municipal Corporation" is proposing construction of Affordable Housing Project "Kshipra Parisar" under PMAY Scheme at Khasra no. 16, Village-Bada Bangarda, Tehsil-Malharganj, District-Indore, MP. But due to area change in area, PP wants to withdraw their proposal. In this regard a letter has already submitted by PP vide dated 12.092023

Committee after deliberations decided that on the request of PP case may be considered for withdrawal and same may be sent to SEIAA for onward necessary action.

17. <u>Case No 10699/2023 Shri Hardayal Singh, Lessee, R/o Badnagar, Makdawan, District-Ujjain (MP)-456337, Prior Environment Clearance for Dhoomaheda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (14820 cum per year) (Khasra No. 1082/1), Village-Dhoomaheda, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)</u>

पूर्व में प्रकरण सेक की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रकरण में परियोजन प्रस्तावक ने पूर्व में अधिकृत पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ के स्थान पर पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ए. जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली को अधिकृत किया गया है । प्रकरण आज दिनांक 05/03/2024 को पुनः समिति के समक्ष एजेण्डे में सूचिबद्ध कर रखा गया, जिसमें श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन, मेसर्स ए. जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri HARDAYAL SINGH, Leessee, Badnagar, Makdawan,Ujjain Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1082/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village – Dhoomaheda, Tehsil- Nagda, District- Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 11430 दिनांक 28/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–14,820 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–14,820 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 715 दिनांक 26/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 715 दिनांक 26/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 715 दिनांक 26/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धुमाहेड़ा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 26/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -01 Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 10 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि 90 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अतः खनन हेतु लगभग 1.0 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है।
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 300 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 715 दिनांक 26/09/23 अनुसार नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–14,820 घनमीटर / वर्ष ।
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:–
   - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
   - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.35 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम धूमाहेडा के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉं,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय	1500

<table>
<tr><td></td><td></td><td>**प्रजातियां**</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>परिवहन मार्ग के दोनों तरफ
(मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)</td><td>**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**</td><td>300</td></tr>
<tr><td colspan="4">उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल</td><td>2400</td></tr>
</table>

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10818/2023 Shri Vikas Narayan, Proprietor, M/s Maa Sharda Traders, R/o Rithi, District-Katni (MP)-483990, Prior Environment Clearance for Atarhai Flagstone and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Flagstone-1400, M-Sand-3000 cum per year) (Khasra No. 3838), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP)

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 को समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है।

सिया की 829 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है। प्रकरण में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 461 दिनांक 11/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें (रकबा 1.80 एवं 1.0 हे.) संचालित/स्वीकृत होना बताया हैं। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जायें। "

प्रकरण का परीक्षण

समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक श्री विकास नारायण, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचीत कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 373 दिनांक 29/02/24 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कुल 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनका कुल रकबा 04.80 हे. है। उक्त क्षेत्र में पूर्व से उत्खनित गढ्ढे है।

अतः समिति द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के पत्र कमांक 373 दिनांक 29/02/24 द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है एवं निर्णय लिया कि प्रकरण बी–2 श्रेणी का है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/2024 मे **पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।**

19. <u>Case No 8913/2021 Smt. Bharti Yadav Lessee, House No. 162, Village - Mangeli, Post - Nigri, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone – 25,266.8 TPA, Murrum – 6,314.4 TPA (Khasra No. 24/2 Part), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) (EIA)</u>

प्रकरण समिति की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 को उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्र्डड शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 828वीं बैठक दिनांक 08/02/2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया है बैठक की कार्यवाही में विवरण है कि :–

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमादित खनन योजना के अक्षांश देक्षांश गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान प्रकरण कमांक 9251/22 एवं 8967/21 में ओवरलेप होना परिलक्षित है।*
2. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र के पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलूओं का पर्यावरणीय पैरामीटर्स अनुसार आंकलन एवं अध्यन कर साईट स्पेसीफिक ई.एम.पी का समावेश ई.आई.ए रिपोर्ट में नहीं किया गया है।*
3. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के कलस्टर का ई.एम.पी भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया एवं एयर मॉडलिंग में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, एयर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर का पूर्ण विवरण एयर मॉडलिंग इक्वेशन में उपयोग किये गये डेटा का पूर्ण*

विवरण भी ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जायें।

प्रकरण का परीक्षण

समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 को उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्र्डड शर्तो सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई थी ।

जो आज दिनांक 05/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, ऑनलाईन मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमादित खनन योजना के अक्षांश देक्षांश गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान प्रकरण क्रमांक 9251/22 एवं 8967/21 में ओवरलेप होना पाया गया है।

उपरोक्त संदर्भ में समिति ने परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरणीय सलाहकार को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

- प्रस्तावित खदान प्रकरण क्रमांक 8913/21 9251/22 एवं 8967/21 में ओवरलेप होना परिलक्षित है, अतः खदान क्षेत्र का डीजी.पी.एस. सर्वे कराकर सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कर वास्तविक कार्डिनेट्स उपर्युक्त संख्या में प्रस्तुत करें।
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलूओं का पर्यावरणीय पैरामीटर्स अनुसार आंकलन एवं अध्यन कर साईट स्पेसीफिक ई.एम.पी प्रस्तुत करें।
- कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के कलस्टर का ई.एम.पी एवं एयर मॉडलिंग में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, एयर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर का पूर्ण विवरण तथा एयर मॉडलिंग इक्वेशन में उपयोग किये गये डेटा का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें।

20. <u>Case No 10736/2023 Shri Alkesh Bakaliya, Proprietor, R/o Himala,Rachharda, District-Dahod (GJ)-389151. Prior Environment Clearance for Bheemfaliya Crusher Stone Mine in an area of 3.40 ha. (26220 cum per year) (Khasra No. 43, 44, 45), Village-Bhim Phaliya, Tehsil-Jhabua, District-Jhabua (MP).</u>

प्रकरण समिति की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

728वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 मार्च 2024

सिया की 826वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया है ***बैठक की कार्यवाही में विवरण है कि :–***

सिया द्वारा पर्यावरणीय मूद्दे पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमादित खनन योजना के अक्षांश देक्षांश गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें परिलक्षित है, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 05.00 हे. से अधिक होता है, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्रानुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत होना नहीं बताया गया है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जायें।"

प्रकरण को आज दिनांक 05/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बकालिया, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा कार्यालय कलेक्टर का पत्र क्रमांक 164 दिनांक 20/02/2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि 500 मी. के परिधि क्षेत्र में कोई अन्य खदान नहीं है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 मे **पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।**

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river…….bank” shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिष्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna’s habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area” with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under “Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon’ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle’s health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under “Ujjwala Yojna” to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP’s commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे